

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रशासन, गाँवों के संग अभियान 2021 कैम्प चाँड

प्रकरण संख्या / 743/21

दिनांक :- 29-10-2021

उनवान

श्री. दुर्गा लाल पुत्र डालूराम शेखर  
नि. बाबाजी का खंड

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार  
जहाजपुर जिला भीलवाडा

::: आदेश :::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का चाँड भू. अ. नि. डालूराम एवं नायब तहसीलदार /तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट/अनुशंभा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बाबाजी का खंड प. ह. चाँड की वर्तमान जमावन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 61 में प्रार्थीगण की प्रविष्टि दुर्गा लाल पुत्र डालूराम बाल के स्थान पर दुर्गा लाल पुत्र डालूराम शेखर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश जारी किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत की जाये।

tu  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री. दुर्गा लाल पुत्र डालूराम शेखर
3. रक्षित पत्रावली

tu  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाडा